

बीमा सिद्धान्त एवं व्यवहार कक्षा-12

कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र-2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत् 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम कम किये जाने की अनुशंसा की गयी है:-

- 2—अग्नि बीमा संविदा के आवश्यक तत्व।
- 3—अग्नि बीमा दावों का निपटारा एवं अग्नि बीमा में प्रीमियम निर्धारण।
- 4—अग्नि बीमा—पत्रों के प्रकार।
- 6—सामुद्रिक बीमा संविदा के आवश्यक नियम।
- 8—सामुद्रिक बीमा के वाक्यांश एवं सामुद्रिक हानियां।
- 10—विविध बीमा—(2) पशु बीमा (Cattle Insurance)।

उपर्युक्त के अनुक्रम में 70 प्रतिशत का पाठ्यक्रम निम्नवत् है—

इसमें 100 अंकों का केवल एक प्रश्न—पत्र समय 3 घण्टे का होगा।

| | |
|---|----|
| 1—सामान्य बीमा संगठन एवं प्रशासन एवं बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण। | 12 |
| 2—अग्नि बीमा की परिभाषा एवं कार्य। अग्नि बीमा संविदा के आवश्यक तत्व। | 10 |
| 3—अग्नि बीमा कराने की विधि। | 10 |
| 5—अग्नि बीमा की शर्तें। | 10 |
| 6—सामुद्रिक बीमा की परिभाषा एवं क्षेत्र—(विषय वस्तु)। | 10 |
| 7—सामुद्रिक बीमा कराने की विधि एवं सामुद्रिक बीमा—पत्रों के प्रकार एवं प्रीमियम निर्धारण। | 15 |
| 9—बीमा विधान, 1938 का संक्षिप्त परिचय। | 15 |
| 10—विविध बीमा जैसे— | 18 |
| (1) फसल बीमा (Crop Insurance)। | |
| (3) चोरी बीमा (Theft Insurance)। | |
| (4) गाड़ी बीमा (Vehicle Insurance)। | |

पुस्तकों—कोई पुस्तक निर्धारित या संस्तुत नहीं है। संस्था के प्रधान पाठ्यक्रम के अनुरूप विषय अध्यापक के परामर्श से पुस्तक का चयन कर लें।